GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
DEPARTMENT OF URBAN DEVELOPMENT

No. UD-A(1)-2/2024 Dated, Shimla-2, the 27-2-2026

NOTIFICATION

WHEREAS, this Department had issued a Notification No. UD-A(1)-2/2024 dated 23.12.2024 declaring the Municipal Council, Baddi as a Municipal Corporation, and had also issued a separate notification for inclusion of areas therein, both of which were quashed and set aside by the Hon'ble High Court vide order dated 18.12.2025 passed in Civil Writ Petition No. 462/2025, titled *"Gram Panchayat Haripur Sandholi & Ors vs. State of Himachal Pradesh* with the directions to consider the objections of the petitioner(s) in accordance with law by passing a reasoned and speaking order after affording an opportunity of personal hearing;

AND WHEREAS, pursuant to the aforesaid directions of the Hon'ble High Court, the statutory process relating to inclusion of areas within the Municipal Council, Baddi, District Solan has since been undertaken separately, after consideration of objections, grant of personal hearing and by passing a reasoned and speaking order Dated 09.02.2026 by the competent authority, in accordance with the provisions of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994, and has attained finality;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 3 of the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 (Act No. 12 of 1994), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare the Municipal Council, Baddi, District Solan, as a Municipal Corporation, to be known as the Municipal Corporation, Baddi, with effect from the date of publication of this notification in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.

By Order

(Devesh Kumar)
Principal Secretary (UD) to the
Government of Himachal Pradesh

Endst. No. as above Dated Shimla-2, the २७/२/2026

Copy forwarded to:-

1. The Chief Secretary to the Govt. of Himachal Pradesh
2. All Administrative Secretaries to the Govt. of Himachal Pradesh
3. The Addl. LR-cum-Addl. Secretary (Law-legal) to the Govt. of Himachal Pardesh.
4. The Secretary , State Election Commission, Himachal Pradesh
5. The Director, Urban Dev., H.P., Palika Bhawan, Talland, Shimla-2 with the direction that land and buildings in the areas that were merged in the erstwhile Municipal Council, Baddi vide notification No. UD-A(1)-2/2024 dated 25.02.2026 be exempted from payment of property tax for a period of three years from the date of publication of above notification in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh and that such areas would continue to retain their customary rights as provided in Wajib-Ul-Urj of the record of rights.
6. The Director, Panchayati Raj, Shimla
7. The Deputy Commissioner , Solan, District Solan , HP.
8. The Director, Census Operation HP Shimla.
9. The Director, Economics & Statistics , HP Shimla.

27/2/26

(Saurabh Jassal)
Spl. Secretary (UD) to the
Government of Himachal Pradesh

हिमाचल प्रदेश सरकार
शहरी विकास विभाग

संख्या यू0डी0–ए0(1)–2/2024 तारीखः शिमला–171002 27-2- 2026

अधिसूचना

इस विभाग ने नगर परिषद बद्दी को नगर निगम के रूप में घोषित करते हुए एक अधिसूचना संख्या यू0डी0–ए0(1)–2/2024 तारीख 23.12.2024 को जारी की थी तथा उसमें क्षेत्रों के सम्मिलित करने के लिए एक पृथक अधिसूचना भी जारी की गई थी, उन दोनों को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सिविल रिट याचिका संख्या 462/2025 शीर्षक ''ग्राम पंचायत हरिपुर संधोली एवं अन्य बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य'' में तारीख 18.12.2025 को ऐसे निर्देशों सहित एक निर्णय द्वारा अभिखंडित और अपास्त कर दिया गया कि निजी सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् एक युक्तियुक्त और व्याख्यात्मक आदेश पारित कर विधि के अनुसार वादियों के आक्षेपों पर विचार किया जाए;

माननीय उच्च न्यायालय के उपर्युक्त निर्देशों के अनुपालन में, नगर परिषद् बद्दी, जिला सोलन में क्षेत्रों के समावेशन से संबंधित वैधानिक प्रक्रिया, हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 के उपबंधों के अनुसार, आक्षेपों पर विचार करने, व्यक्तिगत सुनवाई प्रदान करने और सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिनांक 09.02.2026 को युक्तियुक्त और व्याख्यात्मक आदेश पारित करने के पश्चात् पृथक रूप से की गई है और उसे अंतिम रूप दिया जा चुका है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नगर परिषद् बद्दी, जिला सोलन को, इस अधिसूचना के राजपत्र(ई–गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से, नगर निगम, बद्दी'' के नाम से ज्ञात नगर निगम के रूप में घोषित करते हैं।

आदेश द्वारा

देवेश कुमार
प्रधान सचिव (शहरी विकास)
हिमाचल प्रदेश सरकार

पृष्ठांकन संख्याः यू0डी0–ए0(1)–2/2024 तारीखः शिमला–2 २७-२- 2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जाती हैः–

1. मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार।
2. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश।
3. अतिरिक्त विधि परामर्शी एवं अतिरिक्त सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार।
4. सचिव, निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–171002.
5. निदेशक, शहरी विकास विभाग हिमाचल प्रदेश को इस निदेश के साथ कि तारीख. 25.02.2026. को अधिसूचना संख्या यू0डी0ए0(1)–2/2024 के द्वारा जिन भूमि तथा भवनों को पूर्व में विद्यमान नगर परिषद, बद्दी, जिला सोलन में सम्मिलित किया गया था, उन्हें उपरोक्त अधिसूचना के राजपत्र(ई–गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से सम्पति कर के संदाय में तीन वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान की जाएगी तथा इन क्षेत्रों के निवासियों को अधिकारों के अभिलेख के वाजीब–उल–अर्ज में यथा उपबंधित उनके प्रथागत अधिकार मिलते रहेंगे।
6. निदेशक, पंचायती राज विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–9 को आवश्यक अनुपालना के लिए।
7. उपायुक्त, सोलन, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।
8. निदेशक जनगणना कार्य, शिमला, हिमाचल प्रदेश।
9. निदेशक, आर्थिकी एवं सांख्यिांकी विभाग, हि0प्र0।

27/2/26

(सौरभ जस्सल)
विशेष सचिव (शहरी विकास)
हिमाचल प्रदेश सरकार।